रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 17 सितम्बर, 2022 ई० (भाद्रपद 26, 1944 शक संवत्) [संख्या 38

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	787–795	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	759–773	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	187–198	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	459–461	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-3

त्याग-पत्र

25 अगस्त, 2022 ई0

सं0 02-3001/1/2022–3–I–204995/2022–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2020 के आधार पर विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-1429/दो-3-2021, दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में नियुक्त श्री कुमार सौरभ, परिवीक्षाधीन उपजिलाधिकारी, फिरोजाबाद का संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा-2021 में चयन हो जानें के फलस्वरूप उक्त सेवा में कार्यभार ग्रहण करने/प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु उनके द्वारा जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्र संख्या-3241/ओ0एस0डी0-आफी-आ0, दिनांक 04 अगस्त, 2022 के माध्यम से त्याग-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री कुमार सौरभ, परिवीक्षाधीन उपजिलाधिकारी, फिरोजाबाद को धारित पद से पृथक सेवा योजन के लिए उ0प्र0 सरकारी सेवक त्यागपत्र नियमावली-2000 के नियम-5 में अंकित प्राविधानों के दृष्टिगत श्री कुमार सौरभ का उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) से त्याग-पत्र स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
मदन सिंह गर्ब्याल,
विशेष सचिव।

वित्त विभाग

[सेवायें]

अनुभाग-2

आदेश

24 मई, 2022 ई0

सं0-एस-2-1/169484/दस-2022-9/2022–उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा की समूह 'ख' की अधिकारी, सुश्री आनन्दिता चतुर्वेदी, वित्तीय परामर्शदाता, गाजियाबाद द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 04 फरवरी, 2022 में विवाहोपरान्त अपना नाम बदलकर श्रीमती आनन्दिता त्रिपाठी किये जाने के अनुरोध एवं तद्सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये शपथ-पत्र दिनांक 04 फरवरी, 2022 के दृष्टिगत एम0जी0ओ0 के प्रस्तर-250(2) में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में सुश्री आनन्दिता चतुर्वेदी का नाम विवाहोपरान्त परिवर्तित कर श्रीमती आनन्दिता त्रिपाठी किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,
प्रकाश बिन्दु,
विशेष सचिव।

[लेखा परीक्षा]

अनुभाग-2

तैनाती

30 जून, 2022 ई0

सं0 10-250001(099)/15/2022–4–I–184734/2022–उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा के निम्नलिखित उप निदेशकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उनके वर्तमान तैनाती स्थल से जनहित में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात करने की श्री राज्पाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/गृह मण्डल	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
	सर्वश्री–		
1	देवेन्द्र, आजमगढ़	कानपुर मण्डल, कानपुर	मेरठ मण्डल, मेरठ
2	विनोद कुमार बंसल, अलीगढ़	मेरठ मण्डल, मेरठ	आगरा मण्डल, आगरा
3	डा0 संजीव कुमार, लखनऊ	आगरा मण्डल, आगरा	गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर
4	राम प्रसाद, वाराणसी	गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर	कानपुर मण्डल, कानपुर

2–उक्त स्थानान्तरित अधिकारी बिना प्रतिस्थानीय की प्रतीक्षा किये तत्काल अपने नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 तथा उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायेंगे।

पदोन्नति/तैनाती

सं0 10-25001/595/2021–4–I–184735/2022–उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा समूह 'क' ज्येष्ठ वेतनमान, वेतनबैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600–39,100, ग्रेड पे 7,600 (पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवेल–12) में पदोन्नति हेतु दिनांक 22 जून, 2022 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में की गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, श्री अजय कुमार सिंह, उप निदेशक, विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर को संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करने तथा संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, प्रयागराज (निदेशालय) के रिक्त पद पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2–श्री अजय कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, प्रयागराज (निदेशालय) के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेगें।

पदोन्नति

सं0 10-25099/1265/2021–4–I–184736/2022–उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा समूह 'ख' ज्येष्ठ वेतनमान, वेतनबैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600–39,100, ग्रेड पे 6,600 (पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवेल-11) में पदोन्नति हेतु दिनांक 22 जून, 2022 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में की गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, श्री विश्वनाथ पाण्डेय, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, लखनऊ को उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा

परीक्षा विभाग के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करने तथा उप निदेशक, विन्ध्याचल मण्डल, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, मिर्जापुर के रिक्त पद पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2—श्री विश्वनाथ पाण्डेय, उप निदेशक, विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेगें।

आज्ञा से,
हरिश्चन्द्र,
विशेष सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

31 मई, 2022 ई0

सं0 1228/6-पु0-1-22-287-2022-टी0सी0-I—चयन वर्ष 2021—2022 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (लेखा) से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) के पद पर प्रोन्नति कोटे में 01 रिक्ति के सापेक्ष गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 27 मई, 2022 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (लेखा) में से मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक (लेखा) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवेल—10, रु0 56,100—1,77,500) में प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

क्र0 सं0	पी0एन0ओ0	कर्मचारी का नाम	पी0एन0ओ0	वरिष्ठ/कनिष्ठ कर्मी का नाम (सेवानिवृत्त को छोड़कर)	चयन वर्ष	अभ्युक्ति
1	852460511	श्री राजेश सिंह यादव	842140722	रहीमुद्दीन	2019	वरिष्ठ/कनिष्ठ दोनों कर्मी पुलिस उप अधीक्षक (लेखा) के पद पर प्रोन्नत
			853050014	श्री कृष्ण मोहन सक्सेना		

2—प्रोन्नत कार्मिक की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा। कि उक्त कार्मिक के विरूद्व किसी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरूद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3—उक्त प्रोन्नत अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ तथा अन्य सम्बन्धित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4—पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) के पद पर प्रोन्नत कार्मिक की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रिक्ति वास्तविक रूप से उपलब्ध है। वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष ही प्रोन्नति आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

14 जून, 2022 ई0

सं0 966/छः पु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021—चयन वर्ष 2021—2022 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति कोटे में अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 01 जनवरी, 2022 को नियमित चयन व दिनांक 24 फरवरी, 2022 को अनुपूरक चयन हेतु सम्पन्न बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति पत्र संख्या-65/03/पी0/सेवा-1/2021-2022 दिनांक 04 जनवरी, 2022 व संख्या-119/08/पी0/सेवा-1/2021-2022 दिनांक 28 फरवरी, 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी, जिसके क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 19/छः पु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021 दिनांक 05 जनवरी, 2022 द्वारा 31 दिसम्बर, 2021 तक उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष-26 पुलिस निरीक्षकों, कार्यालय आदेश संख्या 200/छः पु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021 दिनांक 02 फरवरी, 2022 को 04 पुलिस निरीक्षकों व कार्यालय आदेश संख्या 428/छः पु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021 दिनांक 09 मार्च, 2022 को 07 तथा कार्यालय आदेश संख्या 503/छः पु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021 दिनांक 04 अप्रैल, 2022 द्वारा 08 तथा कार्यालय आदेश संख्या 639/छः पु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021 दिनांक 19 अप्रैल, 2022 को 34 व कार्यालय आदेश संख्या 831/छः पु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021 दिनांक 18 मई, 2022 को 06 अर्थात कुल 85 पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किये जाने का आदेश निर्गत किया जा चुका है।

1—उल्लेखनीय है कि चयन वर्ष 2021-2022 में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रयागराज में आहूत विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2022 के उपरान्त चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु संस्तुत चयन सूची के क्रमांक—37 पर अंकित कार्मिक श्री अजय पाल सिंह (पुराना ज्येष्ठता क्रमांक—255 नया ज्येष्ठता क्रमांक—118) के सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना दिनांक 04 मई, 2022 के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी द्वारा आदेश संख्या—द—67/2021 दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 के द्वारा श्री सिंह को परिनिन्दा का दण्ड प्रदान किया गया है, जिसके क्रम में शासन के पत्र दिनांक 28 मई, 2022 के द्वारा श्री अजय पाल सिंह निरीक्षक के सम्बन्ध में प्रोन्नति के समय चयन समिति के समक्ष त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। श्री अजय पाल सिंह निरीक्षक के विरूद्ध परिनिन्दा दण्ड होने के दृष्टिगत उनकी पदोन्नति रोकते हुए शेष कार्मिकों का माह मई, 2022 में उपलब्ध वास्तविक रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति आदेश निर्गत किया जाना है एवं श्री अजय पाल सिंह की चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को निरस्त किये जाने हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

2—अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या डीजी—दो/ब—61ए/2021—22, दिनांक 31 मई, 2022 द्वारा माह मई, 2022 के रिक्ति के सापेक्ष माह जून, 2022 में प्रोन्नति हेतु 04 पुलिस निरीक्षकों का वर्तमान में प्रचलित/लम्बित जांच/विभागीय कार्यवाही एवं अभियोग की अद्यतन स्थिति/वर्तमान प्रगति के साथ सतर्कता अनुभाग-3 के अर्द्धशा0 पत्र संख्या एन0ओ0सी0 562/39—3—2022—7 (4)/2022, दिनांक 07 जून, 2022 द्वारा उक्त पुलिस निरीक्षकों की सतर्कता जांच से सम्बन्धित शून्य सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

अतः चयन वर्ष 2021—2022 में उक्तानुसार उपलब्ध 04 रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुक्रम में पुलिस सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवेल—10, रु0 56,100—1,77,500) में प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

क्र0सं0	पी0एन0ओ0 नं0	पुलिस निरीक्षक ना0 पु0 का नाम	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	जन्मतिथि
1	2	3	4	5
		सर्वश्री–		
1	052290116	पंकज पंत	117	30.06.1982
2	012030343	नागेन्द्र चौबे	119	17.12.1977
3	982029381	वीर सिंह	120	15.10.1967
4	012500156	संदीप कुमार सिंह	121	25.03.1975

3–प्रश्नगत चयन रिट याचिका संख्या 34799 (एस/एस)/2019 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में पारित आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2021 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या 410/2021 उ0प्र0 राज्य बनाम विजय सिंह तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित रिट याचिका संख्या 20914/2018 केशवचन्द्र राय बनाम उ0प्र0 राज्य एवं तद्सम्बन्धी अन्य रिट याचिकाओं सहित यदि कोई प्रत्यावेदन/विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तो उसमें पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

4–उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही एवं ई0ओ0डब्लू0/ए0सी0ओ0/सी0बी0सी0आई0डी0/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुये उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5– पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रोन्नत कोटे में रिक्ति वास्तविक रूप से उपलब्ध है। प्रोन्नति कोटा में वास्तविक रूप से रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही प्रोन्नति आदेश निर्गत किया जायेगा।

6–उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

पदोन्नति

24 जून, 2022 ई0

सं0 1866/6-पु0-1-22-287/2020–चयन वर्ष 2021–2022 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (गोपनीय) से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) के पद पर प्रोन्नति कोटे में 12 रिक्तियों के सापेक्ष गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 13 जून, 2022 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (गोपनीय) में से मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक (गोपनीय) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600–39,100 ग्रेड-पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल–10 रु0 56,100–1,77,500) में प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र0सं0	अधिकारियों के नाम	ज्येष्ठता सूची क्रमांक
1	2	3
	सर्वश्री–	
1	लल्लन प्रसाद साहू	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-1
2	सईद अहमद	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-2
3	अम्बिका चरण श्रीवास्तव	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-3
4	जितेन्द्र बाबू	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-4
5	कृष्ण चन्द्र सिंह	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-5
6	प्रमोद कुमार टण्डन	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-6
7	राज कुमार	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-7
8	मलखान सिंह	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-8
9	सरयू प्रसाद शर्मा	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-9
10	श्याम मनोहर	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-10
11	रवि कुमार वर्मा	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-11
12	देशराज सिंह	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-12
13	भवानी शंकर लोशाली	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-13
14	बाल गोविन्द	ज्येष्ठता कोटि क्रमांक-14

2–उपरोक्तानुसार पदोन्नत कार्मिकों में से क्रम संख्या–6 पर अंकित श्री प्रमोद कुमार टण्डन एवं क्रम संख्या–10 पर श्री श्याम मनोहर दिनांक 30 जून, 2022 को सेवा निवृत्त हो जायेंगे, अतः उनके सापेक्ष ज्येष्ठता क्रमांक–13 पर अंकित श्री भवानी शंकर लोशाली (ज्येष्ठता कोटिक्रम–13) एवं क्रम संख्या–14 पर अंकित श्री बाल गोविन्द (ज्येष्ठता कोटिक्रम–14) को पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) ग्रेड-पे रु0 5,400 पे मैट्रिक्स लेवल–10 के पद पर पदोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3–उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुये उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4–उक्त प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ तथा अन्य सम्बन्धित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5–पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रिक्तियां वास्तविक रूप से उपलब्ध हैं वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही प्रोन्नति आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

आज्ञा से,
राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव।

गोपन विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय ज्ञाप

31 मई, 2022 ई0

सं0 541/22–पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश की माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

सं0 542/22–पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार श्रीवास्तव-1 मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 से 10 दिसम्बर, 2021 तक 07 (सात) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 से 24 दिसम्बर, 2021 तक 03 (दिन) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 543/22–पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री पंकज भाटिया, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	दिनांक 01 नवम्बर, 2021 से 02 नवम्बर, 2021 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 27 नवम्बर, 2021 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
3	दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 544/22–पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री कौशल जयेन्द्र ठाकर, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	दिनांक 10 जनवरी, 2022 से 13 जनवरी, 2022 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
2	दिनांक 31 जनवरी, 2022 से 04 फरवरी, 2022 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।

सं0 545/22–पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	दिनांक 09 नवम्बर, 2021 से 12 नवम्बर, 2021 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 27 नवम्बर, 2021 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
3	दिनांक 29 नवम्बर, 2021 से 01 दिसम्बर, 2021 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 562/22—पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)—मा0 न्यायमूर्ति श्री सुभाष चन्द, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 से 23 अक्टूबर, 2021 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
2	दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।

सं0 563/22—पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)—मा0 न्यायमूर्ति श्री अली जामिन, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 से 08 अक्टूबर, 2021 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 से 02 नवम्बर, 2021 तक 14 (चौदह) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 564/22—पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)—मा0 न्यायमूर्ति श्री मो0 फैज आलम खाँ, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	दिनांक 22 नवम्बर, 2021 से 27 नवम्बर, 2021 तक 06 (छः) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 से 14 दिसम्बर, 2021 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
3	दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 से 24 दिसम्बर, 2021 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 565/22—पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)—मा0 न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का दिनांक 29 नवम्बर, 2021 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश की माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
कृष्ण गोपाल,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0—25 हिन्दी गजट—भाग 1—2022 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 17 सितम्बर, 2022 ई० (भाद्रपद 26, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजानार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

प्रारूप–18

[नियम 20 का उपनियम (2)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

31 मार्च, 2022 ई0

सं0 414/आठ–अ0जि0अ0(भू0अ0)/नोएडा/गौतमबुद्धनगर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जनपद गौतमबुद्धनगर में नोएडा के सुनियोजित विकास हेतु समुचित सरकार/कलेक्टर की राय है, कि नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये नोएडा के सुनियोजित विकास हेतु राजस्व ग्राम छपरौली बांगर, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर की कुल 0.4936 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2–सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी। जिसे समुचित सरकार द्वारा पत्र संख्या 581/R.A.-I, दिनांक 29 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

नोएडा के सुनियोजित विकास हेतु राजस्व ग्राम छपरौली बांगर, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर की कुल 0.4936 हेक्टेयर भूमि की अति न्यूनतम (Absolute bare minimum) आवश्यकता बतायी गयी है। इससे कम सीमा तक परियोजना हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन के लिये अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।

4–भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

5—उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सख्या 414/एक—13—2014—7क(8)/2014 लखनऊ, दिनाक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा सम्बन्धित तहसील के यथास्थिति सहायक कलेक्टर या उपकलेक्टर को उनकी अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर "पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक" नियुक्त किया गया है। इस शासनादेश के अनुक्रम मे उपजिलाधिकारी, सदर को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

6 अत राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते है

अनुसूची

क्र0 स0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	गौतमबुद्धनगर	सदर	सदर	छपरौली बागर	87 M	0 3597
2					112	0 0486
3					114	0 0183
4					115	0 0291
5					117	0 0379
					योग . .	**0.4936**

7 अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एव प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

8—अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र मे भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है

9 अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत काई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण हाने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिूसचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि मे कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर जिला गौतमबुद्धनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है

Form-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

NOTIFICATION

March 31, 2022

[Under sub-section (1) of section 11 of the Act, 2013]

No. 414/VIII-A.D.M.(LA)/Noida/Gautambudh Nagar--Under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Appropriate Government/Collector is satisfied that a total of 0.4936 hectares land is required in the Revenue Village Chapraulı-Banger, Tehsıl-Sadar, District-Gautam Budh Nagar for public purpose namely "Project for the Planned Developement of Noida" through the Noida Industrial Development Authority

2--Social Impact Assesment study was carried out by the Gautam Buddha University, District Gautam Budh Nagar as Social Impact Assesment Agency and submited its recommendations to the Appropriate Government which has approved the recommendation *vide* **Letter No. 581/R.A.-I,** Dated 29-03-2022.

3--The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows :-

A total land area of 0.4936 hectares is required for "Project for the Planned Development of Noida" the technical committee based on land optimization has laid down 0.4936 hectares as minimum land requirement. There is no other alternative, less then this area, required by the acquiring body to complete the project.

4--Due to land acquisition, no family is being displaced in the said Village.

5--The Government of Uttar Pradesh through his notification **No. 414/I-13-2014-7ka(8)/2014**, dated August 06, 2014 has provided that the Assistant Collector or Deputy Collector as the case may be, of the concerned Tehsil shall be appointed "Administrator for Rehabilitation and Resettlement" of the affected families within the Territorial Jurisdictions thereof, According to the said Government order, the Deputy Collector-Sadar, District-Gautambudh Nagar is appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families within the Territorial Jurisdictions.

6--Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose :

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	G. B. Nagar	Sadar	Sadar	Chapraulı Bangar	87 M	0 3597
2	,,	,,	,,	,,	112	0 0486
3	,,	,,	,,	,,	114	0 0183
4	,,	,,	,,	,,	115	0.0291
5	,,	,,	,,	,,	117	0 0379
					Total . .	**0.4936**

7--The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

8--Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

9--Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land i.e. sale purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of land taken up for such Acquisition can be seen in the Office of the Collector, District-Gautam Buddha Nagar

(*Sd*.) ILLEGIBLE,
Collector,
Gautam Budh Nagar.

प्रारूप–19

[नियम 27 का उपनियम (1)]

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

10 जून, 2022 ई0

सख्या 591/आठ–अ0जि0अ0(भू0अ0)/नोएडा/गौतमबुद्धनगर–चूकि प्रारम्भिक अधिसूचना सख्या 414/आठ–अ0जि0अ0(भू0अ0)/नोएडा/गौतमबुद्धनगर, दिनाक 31 मार्च, 2022 राजस्व ग्राम छपरौली बागर, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर मे नाएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन क लिये नोएडा के सुनियोजित विकास हेतु 0.4936 हेक्टेयर भूमि अर्जित करने के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम सख्या 30 सन् 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी थी तथा दिनाक 01 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित करायी गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर, सदर, जिला गौतमबुद्धनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उददेश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

2 उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्ध के अनुसरण में प्रस्तुत कलेक्टर की रिपोर्ट पर विचारा करने के पश्चात् राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि दी गयी अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल, लोक प्रयोजन के लिये आवश्यक है

3 राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन जिला गौतमबुद्धनगर क कलेक्टर को इस आशय की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का साराश प्रकाशित करने के लिये निदेश देते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का साराश इसके साथ सलग्न है।

अनुसूची "क"

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	गौतमबुद्धनगर	सदर	सदर	छपरौली बागर	87 M	0.3597
2					112	0 0486
3					114	0 0183
4					115	0 0291
5					117	0 0379
					योग . .	**0.4936**

अनुसूची "ख"

(विस्थापित कुटुम्बो के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

क्र0 स0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7

अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि के अर्जन से कोई भी कुटुम्ब विस्थापित नही हो रहा है

टिप्पणी अर्जन के प्रयोजनार्थ उक्त भूमि का स्थल नक्शा, कलेक्टर, जिला गौतमबुद्धनगर के कार्यालय मे देखा जा सकता है।

यह घोषणा समुचित सरकार/जिला कलेक्टर, गौतमबुद्धनगर के अनुमोदन दिनाक _____ के क्रम में जारी की जा रही है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये नोएडा के सुनियोजित विकास हेतु राजस्व ग्राम छपरौली बागर, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर मे स्थित 0 4936 हेक्टेयर भूमि के लिये प्रकाशित अधिसूचना सख्या 414/आठ–अ0जि0अ0(भू0अ0)/नोएडा/गौतमबुद्धनगर, दिनाक 31 मार्च, 2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ-साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का साराश सलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का साराश निम्नवत् है

नोएडा के सुनिनियोजित विकास के लिये अर्जन हेतु प्रस्तावित ग्राम छपरौली बागर तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर मे स्थित 0.4936 हेक्टेयर भूमि के अर्जन से लगभग 45 कुटुम्ब प्रभावित होंगे तथा किसी भी कुटुम्ब का विस्थापन प्रश्नगत भूमि के अर्जन से नहीं होगा। प्रभावित कुटुम्बों के लिये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (R&R) प्रारूप स्कीम का ड्राफ्ट तैयार किया गया है इस पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (R&R) प्रारूप स्कीम के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं–

(1) अपेक्षक निकाय/नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना में सृजित होने वाले रोजगारों मे परियोजना से प्रभावित परिवारो के सदस्यों को विभिन्न सस्थाओं (सरकारी एव गैर-सरकारी) के माध्यम से आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान कराते हुये यथासभव योग्यतानुसार अनिवार्य रूप से प्राथमिकता दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी

या

रोजगार न उपलब्ध होने की दशा में प्रत्येक प्रभावित परिवार को रु0 5.00 लाख एक ही बार मे एकमुश्त देय होगे।

या

वार्षिक नीतिया जो कृषि श्रमिकों के लिये उपभोक्ता कीमत सूचकाक के समुचित सूचकाकन के अनुसार 20 वर्ष तक प्रति परिवार/कुटुम्ब जो रु0 2.00 हजार प्रति माह से कम नही होगी, दी जायेगी।

(2) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि पर बनी परिसम्पत्तियों का मूल्याकन एव भुगतान अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) में निहित प्राविधानों के अनुसार कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) द्वारा किया जायेगा

(3) प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को पुनर्व्यवस्थापन भत्ते के रूप मे रु0 50,000 की धनराशि एकमुश्त एक बार मे दी जायेगी।

(4) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का क्रियान्वयन 2 वर्ष के अन्दर पूर्ण किया जायेगा।

टिप्पणी उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

Form-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

[Under sub-section (1) of section 19 of the Act]

NOTIFICATION

June 10, 2022

Whereas preliminary Notification **No. 414/VIII-A.D.M.(L.A.)/Noida/Gautambudh Nagar**, dated 31 March, 2022 was issued under sub section (1) of Section 11 of "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition", Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no 30 of 2013), (hereinafter referred as the said Act) for acquisition of 0.4936 hectares of land in the revenue Village-Chaprauli Banger, Tehsil Sadar, District Gautam Budh Nagar for public purpose namely "Project for the Planned Developement of Noida" through the Noida Industrial Development Authority and published on 01-04-2022. The Deputy Collector, Sadar, District-Gautambuddh Nagar was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families.

2--After considering the report of the Collector submitted in pursuance of provision under sub section (2) of the section 15 of the said Act, the Governor is pleased to declare under sub-section (1) of the section 19 of the said Act that he is satisfied that the Area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose.

3--The Governor is further pleased under under sub section (2) of the section 19 of the said Act to direct the Collector, District-Gautambuddh Nagar to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(Land under proposed acquisition)

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	G. B. Nagar	Sadar	Sadar	Chaprauli Bangar	87 M	0 3597
2	,,	,,	,,	,,	112	0.0486
3	,,	,,	,,	,,	114	0.0183
4	,,	,,	,,	,,	115	0 0291
5	,,	,,	,,	,,	117	0.0379
					Total . .	**0.4936**

SCHEDULE-B

(Land identified as settlement area for displaced families)

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares

No family is getting displaced by the Acquisition of land mentioned in Schedule A

NOTE--A plan of land may be inspected in the Office of the Collector, District-Gautambuddh Nagar for the purpose of acquisition.

This declaration is being issued in the order of approval dated 10-06-2022 of the appropriate Government/District Collector, Gautambuddh Nagar

Notification of Declaration by Collector
[Under sub-section (2) of section 19 of the Act]

By the Order of declaration made under Government **Notification no. 414/VIII-A.D.M.(L.A.)/Noida/ Gautambudh Nagar**, dated March 31, 2022, 0.4936 hectares of land in the revenue Village-Chapraulı Banger, Tehsil-Sadar, District-Gautam Budh Nagar is required for public purpose namely "project for the Planned Development of Noida" through the Noida Industrial Development Authority. I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme alongwith Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is given below :

For the said project, 0.4936 hectares of land is proposed to be acquired in Village Chapraulı Banger, Tehsil Sadar, District Gautam Budh Nagar in which around 45 families are expected to be affected because of the acquisition. There will be no displacement of any family due to the acquisition of the land. For the project affected families, R & R draft scheme has been prepared. The salient features of Resettlement and Rehabilitation Scheme are as follows :

(1) Various kinds of jobs are expected to be created from the proposed project, skill development training is to be provided through various Agencies (Government & Non-Government) and efforts to provide Job as far as possible, to one member of each affected family in the project will be made.

or

One time payment of Five Lakhs rupees per affected family if jobs are not available ;

or

Annuity policies that shall pay not less than two thousand rupees per month per family for twenty years, with appropriate indexation to the Consumer Price Index for Agricultural Labourers

(2) Evaluation and Compensation Distribution of the assets situated on the land of the affected land owners is to be done as per the provisions laid down under Land Acquisition Act 2013 (RFCTLARR, 2013) by the Collector/Additional District Magistrate (L.A.).

(3) Each Project affected family shall be given a one time "Resettlement Allowance" of Fifty Thousand Rupees only.

(4) The implementation of the Rehabilitation and Resettlement Scheme will be completed within two years.

The plan for land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of land acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector,
Gautam Budh Nagar.

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात
(अधिनियम 2013 की धारा 11 की अधिसूचना)
दिनाक 02 मई, 2022

स0 196/आठ-अ0जि0 (भू0अ0) कानपुर नगर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उप धारा-1 कलेक्टर कानपुर देहात की राय है कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0, सेतु निर्माण इकाई-2 कानपुर द्वारा कानपुर देहात में औरैया कचौसी रेलवे स्टेशन के निकट सम्पार सख्या-5 सी पर उ0 म0 रे0 के कानपुर टूण्डला सेक्शन के किमी0 1091/7-9 डी0एफ0सी0सी0 रूट पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु जनपद कानपुर देहात की तहसील डेरापुर के ग्राम रानेपुर, रसूलाबाद की 0.6149 हे0 व ग्राम बान की 0.8378 हेक्टेयर भूमि सहित कुल 1.4527 हे0 भूमि की आवश्यकता है

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी सस्तुतिया प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनाक 10 जनवरी, 2022 को अनुमोदित किया गया है

3 **सामाजिक समाघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार है—**

यह सम्पार सख्या 5सी एक तरफ झींझक रूरा मार्ग के 200 मीटर होते हुये दिवियापुर को जोड़ता है यह उपरिगामी सेतु बाईपास का भी काम करेगा। पुल के इस तरफ से कचौसी होते हुये क्षेत्रीय जनता के व्यापार आवागमन इत्यादि में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा झींझक एव दिवियापुर, रूरा की ओर से आने वाले समस्त हल्क/भारी वाहन इस सम्पार को पार करते हुये लहरामऊ, रसूलाबाद होते हुये इटावा को जाता है जनपद औरेया मे डी0एफ0सी0सी0 के अन्तर्गत कानपुर टूण्डला (उत्तर मध्य रेलवे) के सम्पार स0 5सी रेल किमी0 1091/7-9 पर कचौसी रेलवे स्टेशन के निकट है अत उक्त सम्पार पर उपरिगामी सेतु का निर्माण होने के उपरान्त यातायात सुगम हो जायेगा

4 भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5 अत राज्यपाल कानपुर देहात मे रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

क्र0 स0	जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा सख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
1	कानपुर देहात	डेरापुर	रानेपुर रसूलाबाद	488	0.1539
				264	0.0364
				268	0.0607
				269	0.0384
				262	0.0420
				270	0.2430
				272	0.0405
				योग . .	**0.6149**
			बान	145	0.1051
				144	0.0931
				143	0.0607
				142	0.3272
				47	0.0250
				52	0.0729
				53	0.0607
				54	0.0931
				योग . .	**0.8378**
				कुल योग . .	**1.4527**

6 अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एव प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि मे निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8 अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि मे कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) 37/17 वेस्टकाट भवन, माल रोड, कानपुर नगर में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, कानपुर देहात।

OFFICE OF THE COLLECTOR, KANPUR DEHAT

Notification Under section 11 of the Right to Fair compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

NOTIFICATION

May 02, 2022

Ref. No. 196/VIII-A.D.M.(L.A.)-Kanpur Nagar--Right to to Fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 sub section 1 of section 11 Collector, Kanpur-Dehat is of the opinion that Uttar Pradesh State Bridge Corporation Ltd , by the bridge construction unit 2 Kanpur in Kanpur-Dehat, Auraiya Kanchausi, District-Kanpur-Dehat for construction of 02, lane rail overhead bridge on Km. 1091/7-9 D.F.C C. Route of Kanpur-Tundla section of North Central Railway at Sampar no. 5C near railway station total of 1.4527 hectares of land is required including 0.6149 hectares of Village-Ranepur Rasulabad and 0.8378 hectares of Village Ban of Tehsil-Derapur.

2. The study related to social Impact assessment has been done by the State Social Impact Assessment Agency and its recommendation have been submitted to the appropriate Government, which has been approved by the appropriate Government on 10-01-2022.

3. The summary of Social Impact, Assessment is as follows. This crossing number 5C connects Diviyapur *via* Jhinjhak-Rura Road 200 meters on one side This overhead bridge will also act as a bypass. On this side of the bridge, there will not be any kind of disruption in the trade traffic etc of the regional perople. All light/heavy vehicles coming from Jhinjhak and Diviyapur, Rura side crossing this crossing. Lehramau goes to Etawah *via* Rasulabad In District-Auraiya, under D.F.C.C. Kanpur Tundla (North Central Railway) is near Kanchausi Railway Station on Sampar No. 5C Rail Km. 1091/7 9. Therefore, after the construction of an overhead bridge at the said crossing, the traffic will become easy.

4. No family is being displaced due to land acquisition.

5. Therefore, the Governor gladly consents to notify the land mentioned in the following schedule for general information for the construction of Rail Over Bridge in Kanpur Dehat.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Village	Gata no.	Proposed area for acquisition
1	2	3	4	6	7
					Hectares
1	Kanpur Dehat	Derapur	Ranepur Rasulabad	488	0.1539
				264 M	0 0364
				268	0 0607
				269 M	0 0384
				262	0 0420
				270 M	0 2430
				272	0 0405
				Total . .	**0.6149**

1	2	3	4	6	7
					Hectares
	Kanpur Dehat	Derapur	Baan	145	0.1051
				144	0 0931
				143	0 0607
				142 M	0 3272
				47	0 0250
				52	0 0729
				53	0 0607
				54	0 0931
				Total . .	**0.8378**
				GRAND TOTAL . .	**1.4527**

6--The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the Acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7--Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8--Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A side plan of land may be inspected in the Office of the Additional District Magistrate (L.A.) 37/17 Westcott Building Mall Road, Kanpur-Nagar.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector,
Gautam Budh Nagar.

कार्यालय, जिलाधिकारी गाजियाबाद

13 जनवरी, 2022
विज्ञप्ति/आदेश

स0 1450/सात-डी0एल0आर0सी0-गा0बाद/विनियम/2021 उप जिलाधिकारी मोदी नगर के पत्र सख्या 307/रा0का0-मोदीनगर पुनर्ग्रहण-2021 दिनाक 25 10 2021 के आलोक मे एव व्यापक जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 8 सन 2012) की धारा 77 की उपधारा-2 सपठित धारा 101 एव उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ की अधिसूचना सख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनाक 06 जुलाई 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राकेश कुमार सिह, जिलाधिकारी गाजियाबाद ग्राम शकूरपुर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद स्थित खसरा सख्या 115च/0 0040 हे0 (नाली), 249/0 0040 हे0 (नाली),27/0 0220हे0 (चकमार्ग), 180/0 0063 हे0 (नाली), 17/0 0040 हे0 (नाली), 16/0 0085 हे0 (चकमार्ग), 44/0 0196 हे0 (चकमार्ग), 85/0 0196 हे0 (चकमार्ग), 101/0 0200 हे0 (चकमार्ग), 112/0 0088 हे0 (नाली), 124/0 0099 हे0 (नाली), 130/0 0020 हे0 (चकमार्ग), 150/0 0160 हे0 (चकमार्ग), 151/0 0080 हे0 (नाली), कुल खसरा नम्बरान 14 कुल रकबा 0.1527 हे0 के सशुल्क श्रेणी परिवर्तन किये जाने व डडीकेटड फ्रेंट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 रेलवे मत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम दर्ज ग्राम शकूरपुर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद स्थित भूमि खसरा नम्बर 121 रकबा 0 0062 हे0, 120 रकबा 0 0033 हे0,

248 रकबा 0.0010 हे0, 247 रकबा 0.0035 हे0, 41 रकबा 0.0175 हे0, 39 रकबा 0.0080 हे0 38 रकबा 0.0010 हे0, 24 रकबा 0.0111 हे0, 23 रकबा 0.0012 हे0, 26 रकबा 0.0068 हे0, 25 करबा 0.0007 हे0, 13 करबा 0.0040 हे0, 12 रकबा 0.0150 हे0, 11 रकबा 0.0053 हे0, 45 रकबा 0.0248 हे0, 113 रकबा 0.0163 हे0, 111 रकबा 0.0292 हे0, 114 रकबा 0.0045 हे0, 100 रकबा 0.0428 हे0, 90 रकबा 0.0305 हे0, 84 रकबा 0.0447 हे0, 89 रकबा 0.0008 हे0, 129 रकबा 0.0020 हे0, 139 रकबा 0.0140 हे0, 144 रकबा 0.0024 हे0, 135 रकबा 0.0050 हे0 134 रकबा 0.0095 हे0, 133 रकबा 0.0118 हे0, 132 रकबा 0.0080 हे0, 131 रकबा 0.0055 हे0, 161 रकबा 0.0182 हे0, 172/1 रकबा 0.0150 हे0, 152 रकबा 0.0195 हे0, 172/2 रकबा 0.0018 हे0, 162 रकबा 0.0100 हे0, 154 रकबा 0.0090 हे0, 163 रकबा 0.0015 हे0, 165 रकबा 0.0010 हे0 179 रकबा 0.0050 हे0, 173 रकबा 0.0058 हे0, 174 रकबा 0.0038 हे0, 178 रकबा 0.0019 हे0 कुल खसरा नम्बरान 42 कुल रकबा 0.4290 हे0 से विनिमय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एव प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करता हूँ—

1- उक्त भूमियो का विनिमय/श्रेणी परिवर्तन पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा रहा है। डेडीकेटेड फ्रेंट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 रेलवे मत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि अकन 16,08,750-00 रुपये (सोलह लाख आठ हजार सात सौ पचास रुपये) निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तिया-08-मालिकाना राजस्व-806- प्रकीर्ण प्राप्तिया" के नाम जमा कराया जायेगा।

2 उप-जिलाधिकारी मोदीनगर द्वारा ग्राम शकूरपुर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जनपद गाजियाबाद स्थित विनिमय के माध्यम से प्राप्त डेडीकेटेड फ्रेंट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 रेलवे मत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की भूमि को वकमार्ग एव नाली के रूप में तथा डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 को दी जाने वाली ग्राम सभा भूमि स्थित ग्राम शकूरपुर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जनपद गाजियाबाद का श्रेणी परिवर्तन शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक में नियमानुसार प्रक्रिया अन्तर्गत जमा कराने के उपरॉत डेडिकेटेड फ्रेंट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 रेलवे मत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी

3—लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर उप-जिलाधिकारी मोदीनगर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार सशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

4—उक्त सभी शर्तों एव प्रतिबन्धो का अनुपालन उप-जिलाधिकारी मोदीनगर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा

राकेश कुमार सिह,
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

कार्यालय, जिलाधिकारी अलीगढ़

आकार पत्र-1
19 जनवरी, 2022
आदेश

स0 1176 (iv)/डी0एल0आर0सी0 उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश सख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनाक 05 सितम्बर, 1986 का आशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सख्या-8 सन 2012) की धारा-59 की उप धारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश सख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनाक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै सेल्वा कुमारी जे, जिलाधिकारी अलीगढ़ निम्न अनुसूची मे उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनाक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पचायतो/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने

अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के ग्राम खुर्रमपुर में नवीन पुलिस चौकी, कठैरा आलमपुर स्थापित किये जाने हेतु गृह (पुलिस) विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में नि:शुल्क हस्तान्तरित करती हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नही होगा।

अनुसूची

क्र0 स0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा सख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ	कोल	अकराबाद	खुर्रमपुर	421	0 081	श्रेणी-5-3क बजर	नवीन पुलिस चौकी, कठैरा आलमपुर स्थापित किये जाने हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0, शासन के निवर्तन पर।

सेल्वा कुमारी जे,
जिलाधिकारी
अलीगढ़।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

08 अगस्त, 2022 ई0

स0-2862/जी0-166/65(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम स0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति स0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनाक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश स0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनाक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1 क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी सचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाक से तहसील लखीमपुर परगना खीरी जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम जाममुबारकपुर में चकबन्दी क्रियाये समाप्त हो गयी हैं।

स0-2863/जी0-166ए/65—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम स0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति स0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनाक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश स0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनाक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1 क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी सचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाक से तहसील लखीमपुर नवसृजित तहसील मितौली परगना खीरी जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम भूलनपुर मे चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

स0-2864/जी0-266/94-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम स0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति स0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनाक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश स0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनाक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी सचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट मे प्रकाशित होने के दिनाक से तहसील चौरी चौरा परगना हवेली जनपद गोरखपुर के ग्राम बहरामपुर तप्पा पतरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

स0-2865/जी0-168/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम स0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति स0 1769/सी0एच0 1 91 58, दिनाक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश स0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनाक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी सचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाक से तहसील लालगज परगना सदर जनपद प्रतापगढ के ग्राम गोवर्धनपुर मे चकबन्दी क्रियाये समाप्त हो गयी हैं।

स0-2857/जी0-155/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम स0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति स0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनाक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश स0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनाक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी सचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाक से तहसील सदर परगना शमशाबाद पूर्व जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम अभयपुर मे चकबन्दी क्रियाये समाप्त हो गयी हैं।

स0-2858/जी0-28/2022-23(2)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम स0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति स0 1769/सी0एच0 1 91 58, दिनाक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश स0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनाक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी सचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट मे प्रकाशित होने के दिनाक से तहसील बिल्सी परगना कोट जनपद बदायूँ के ग्राम फकीराबाद में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

17 अगस्त, 2022 ई0

स0-2951/जी0-329/2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम स0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति स0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनाक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश स0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनाक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी सचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाक से तहसील बुलन्दशहर परगना बरन जनपद बुलन्दशहर के ग्राम सन्नौट में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

18 अगस्त, 2022

स0-2994/जी0-159/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम स0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति स0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनाक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश स0 23/1/1 (5) 1991 टी0सी0आर0 1, दिनाक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी सचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाक से तहसील व परगना मुरादाबाद जनपद मुरादाबाद के ग्राम डिलरा रायपुर में चकबन्दी क्रियाये समाप्त हो गयी हैं।

25 अगस्त, 2022

स0-3087/जी0-163/69—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम स0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति स0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनाक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश स0 23/1/1 (5) 1991 टी0सी0आर0 1, दिनाक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी सचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाक से तहसील सदर परगना देहात अमानत जनपद वाराणसी के ग्राम नरोत्तमपुर कला में चकबन्दी क्रियाये समाप्त हो गयी हैं।

स0-3088/जी0 40/54-80(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम स0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति स0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनाक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश स0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनाक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारो

का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी सचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाक से तहसील सदर परगना हवेली अवध जनपद अयोध्या के ग्राम चरेरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

स0-3089/जी0-48ए/2021-22–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम स0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति स0 1769/सी0एच0 1 91 58, दिनाक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश स0 23/1/1 (5) 1991 टी0सी0आर0 1, दिनाक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1 क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी सचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाक से तहसील व परगना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के ग्राम ओहनी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

30 अगस्त, 2022 ई0

स0-4057/जी0-610/2016-17 उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम स0 5, 1954 ई0) की धारा-4 की उपधारा (2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति स0 3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनाक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश स0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0-रा0-1 दिनाक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख मे किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी सचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाक से निम्न जनपद के ग्राम मे चकबन्दी क्रियाये आरम्भ करने का निश्चय किया गया है

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है
1	2	3	4	5	6
1	रामपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	गजरौला	धारा 4क(2)/द्वितीय चक्र

रणवीर प्रसाद,
चकबन्दी सचालक,
उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0–25 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2022 ई0।

मुद्रक एव प्रकाशक निदेशक, मुद्रण एव लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं० डब्ल्यू०पी० 41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 17 सितम्बर, 2022 ई० (भाद्रपद 26, 1944 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पचायत, खण्ड-ग निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ जिला पचायत

खण्ड-घ–जिला पंचायत

भवन नक्शा/मानचित्र की उपविधि

दिनाक 09 सितम्बर, 2022

स0 4731/23-06-2019 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पचायत तथा जिला पचायत अधिनियम 1961 (यथा सशोधित) की धारा 239 (1) एव धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पचायत, प्रतापगढ़ ने ग्राम्य क्षेत्र जोकि उक्त अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र मे स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एव उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनो के नक्शों एव निर्माण को नियत्रित एव विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधिया बनायी है। यह उपविधि उत्तर प्रदेश सरकार के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी

1 अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पचायत तथा जिला पचायत अधिनियम 1961 से है।

2 ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एव जिसक अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा सख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट मे प्रकाशित की जा चुकी हो

3 विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एव बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एव फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4 मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइग, डिजाईन एव विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जोकि पजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एव डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो

5–निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन मे निर्माण करना, पुन निर्माण करना या उसमे सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है

6–भवन की ऊचाई का तात्पर्य सलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत् (Vertical) ऊचाई से एव ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयो के बीच से है भवन की ऊचाई मे मम्टी, मशीनरूम, पानी की टकी, एन्टीना आदि की ऊचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7 छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जोकि सामान्यतया सूरज या बारिश के बचाव के लिए बनाया जाता है।

8 ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह, से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है

9–निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र मे इन उपविधियो के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10 तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मजिल के उस निचले खड स है, जहा पर सामान्यत किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11 फ्लार एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलो के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12 भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है

13–ग्रुप हाउसिग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओ जैसे पाकिग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14–ले आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जोकि किसी स्थल के समस्त भू खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इगित करने वाला प्लान से है।

15 प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है

(अ) अभियन्ता अभियन्ता, जिला पचायत

(ब) अवर अभियन्ता-इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य उस अवर अभियन्ता से है, जिसको अभियता, जिला पचायत द्वारा भवन के नक्शो को स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निदेशित (Designated) किया गया हो।

16 कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पचायत से है

17–अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग मे लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18–स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियो का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पजीकृत सस्था राज्य सरकार एव केन्द्र सरकार के विभाग एव अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है

19 रेन वाटर हार्वेस्टिग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊचा उठाने से है।

20 सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारो तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एव बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21 अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पचायत, प्रतापगढ से है।

22 जिला पचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) में सघटित जिला पचायत, प्रतापगढ़ से है

23 अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पचायत, प्रतापगढ से है।

24 बहु मजिली भवन (Multy Storey) चार मजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊचाई का भवन बहु मजिल कहलायेगा

25 मजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके उपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके उपर कोई तल न हो, तो वह स्थान जो तल और इसके उपर की छत के मध्य हों।

26—भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा सरचना से है, जोकि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाये, एव उसका प्रत्येक भाग चाहें मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एव उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बरान्डा बालकनी, कार्नस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा इसके अन्तर्गत टैंट, शामियाना, तिरपाल आदि जोकि पूर्णत अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते है, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होगें।

27—आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होग जिनमें सामान्यत आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित भवन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हों। इसमे एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28 व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानो, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओ के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एव सुविधाए जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशागिक हों और उसी भवन मे स्थित हो सम्मिलित होगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29—सकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का सग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-छोटे कणों मे विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के सग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो

30 भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुन बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31 पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी मे बद या खुले स्थान से है, जहा पर वाहन इकट्ठे रूप में खडे हो सकते है, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एव स्वतत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियो में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं मे सम्मिलित नही है, का तात्पर्य वही होगा, जोकि शब्दो का National Building Code एव Bureau of Indian Standards यथा सशोधित मे माना जाता है। किसी विरोधाभाष की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेगें।

उपविधि

ये उपविधिया जिला पचायत, प्रतापगढ़ के उक्त परिभषित ग्रामीण क्षेत्र में जोकि इन उपविधियो के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कम्पनी, फर्म या सस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण सस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले आउट प्लान एव/या भवन प्लान एव निर्मित भवनों मे परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियत्रित एव विनियमित करने की उपविधिया कहलायेंगी

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमे उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा

1 उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र मे निम्नलिखित परिस्थितियों मे भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नही होगी।

(अ) ये उपविधिया कच्चे मकानो एव गाव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्गमी0 क्षेत्रफल एव दो मजिल तक ऊँचे आवासीय भवनो पर लागू नहीं होगी परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एव उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

(ब)–सफेदी व रंग रोशन के लिए

(स)–प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

(य)–पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए

(र) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण।

(व) मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड्ढा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र मे कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन मे परिवर्तन या परिवर्धन विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियो के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी जिला पचायत, प्रतापगढ़ को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनाये प्रस्तुत करेगा एव पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1–स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा :–

ले-आउट प्लान का पैमाना 1 : 500 होगा

की-प्लान का पैमाना 1 : 1000 होगा

बिल्डिग प्लान का पैमाना 1 : 100 होगा

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का सक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख

2 प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा।

(अ) प्रत्येक मजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित

(ब) नक्शे पर पजीकृत वास्तुविद का पजीकरण नम्बर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियो द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना-पत्र।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैस आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन

(ल) स्थल का की प्लान, ले आउट प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्सन स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लान्ट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

(स) नक्शे पर भू खण्ड का क्षेत्रफल ग्राउड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेट का क्षेत्रफल आदि का विवरण

3 बहु मजिली भवन (मल्टी स्टोरी) चार मजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढी व निकासी, अग्निसुरक्षा लिफ्ट अग्नि-अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)।

निर्माण कार्य एव निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितिया

निम्नलिखित परिस्थितियो मे भवन निर्माण, परिवर्तन विस्तार की किसी भू खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नही की जायेगी यदि

अ प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है

ब–प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनायें आहत होती हो।

स–प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनायें भडकाने का स्रोत (Source of Annoyance) अथवा आसपास रहने वालो के स्वास्थ्य पर दुश्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

1 (क) एक आवास गृह मे 4 5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी

(ग) लिटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एव 0.75 मीटर चौडा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा बेसमेट की फर्श से सीलिग तक की अधिकतम ऊँचाई 4 5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेट की अधिकतम ऊँचाई 1 5 मीटर होगी स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है

(ड) बहुमजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods) /मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन सहिता (National Building Code) 2016 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिग के दो ब्लॉक मे न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6 0 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक 3 0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1 0 मीटर बढाई जायेगी भू-खण्ड के डेड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9 0 मीटर होगी।

(छ) बहुमजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन मे अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है, सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2 4 मीटर होगी

2 निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खण्ड का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) मे अतिरिक्त जोडा जा सकता है

(क) जनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम विद्युत उप केन्द्र आदि

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लाट

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3 (क) आवासीय भवन मे कमरे का आकार 2 4 मीटर एव 9 5 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए

(ख) छत की सीलिग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(ग) ए0सी0 कमरे की ऊँचाई 2 40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोईघर की ऊँचाई 2.75 मीटर, आकार 1 80 मीटर एव 5 00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए

(ड) सयुक्त सडास (TOILET) का आकार 1.20 मीटर एव 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मजिल तक के भवन मे सीढ़ी की चौड़ाई 1 00 मीटर एव इससे अधिक ऊँचे भवन मे 1 50 मीटर से कम न होनी चाहिए

4–(क) पार्क टोट-लोट्स (Tot Lots), लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौडाई तथा अनुमन्य फ्रट सेट बैक के योग का डेढ गुना होगी।

(ग) भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एव उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5 स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एव मल-मूत्र एव बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वय की जायेगी जिला पचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नही होगा।

6–बेसमेन्ट में इलेक्ट्रिक ट्रासफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेंगा।

(ड) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एव पक्की सडकों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) विकसित जनपदों की सूची (1)

लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड, शामली, मुजफ्फरनगर एव झासी।

(छ) भू आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एव फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत् होंगे

क्रमाक	भवन एव भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची (1) के अनुसार जनपदों मे (मीटर)	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों मे (मीटर)
1	2	3	4	5	6
1	(I) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	(II) (1) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2	ग्रुप हाउसिग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4	व्यावसायिक भवन–				
	(I) सुविधा (Convenient) शॉपिग केन्द्र, शॉपिग माल्स, व्यावसायिक केन्द्र, होटल	40	2.50	30	21
	(II) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	18
	(III) वेयर हाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(IV) दुकाने व मार्केट	60	1.50	15	10
5	सस्थागत एव शैक्षणिक भवन–				
	(I) सभी उच्च शिक्षण सस्थान, विश्व-विद्यालय, अनुसधान एव प्रशिक्षण सस्थान, डिग्री कालेज आदि	50	1.50	24	15
	(II) हायर सेकेंडरी, प्राइमरी,नर्सरी स्कूल, क्रेच सेटर आदि	50	1.50	24	15
	(III) हास्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15

1	2	3	4	5	6
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन—	50	1.20	15	10
	(I) सामुदायिक केन्द्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
	(II) धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
	(III) धर्मकाटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीतगृह	40	0.50	10	6
7	कार्यालय भवन				
	सरकारी, अर्धसरकारी, कॉर्पोरेट एव अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8	क्रीड़ा एव मनोरजन, कॉम्प्लेक्स, शूटिग रेंज, सामाजिक एव सास्कृतिक केन्द्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए0टी0एम0	100	1.00	6	6

(ज) सेट बैक (Set back)

क्रमाक	भू खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सामने (Front) मीटर	साईड (Side) मीटर	पीछे (Reer) मीटर	लैंड स्केपिग (Landscaping)	खुला स्थान % तक
1	2	3	4	5	6	7
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151-300	3.0	0.0	3.0	"	25
3	301-500	4.5	3.0	3.0	"	25
4	501 2000	6.0	3.0	3.0	"	25
5	2001 6000	7.5	4.5	6.0	"	25
6	6001-12000	9.0	6.0	6.0	"	25
7	12001-20000	12.0	7.5	7.5	"	50
8	20001-40000	15.0	9.0	9.0	"	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	"	50

(झ) पार्किंग स्थान

क्रमाक	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	सस्थागत एव शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एव सास्कृतिक केन्द्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथिगृह, होटल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रूम के लिए
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीटस
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

(ञ) अग्निशमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेस

1 तीन मजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा सस्थागत एव शैक्षणिक भवन व्यावसायिक भवन हॉस्पिटल, नर्सिग होम सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एव अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दिवार के साथ साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमे दमकलो के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा

2 अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौडाई 1 2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौडाई 28 सेमी0, राईजर अधिकतम 19 सेमी0, एक फ्लाईट में अधिकतम राईजरो की सख्या 16 तक सीमित होगी

3 अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए

4 घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँच भवनो मे नही किया जायेगा।

5–उपरोक्त भवनो हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

6 उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एव राष्ट्रीय भवन सहिता (National Building Code) 2016 भाग 4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे स्वचालित स्प्रिक्लर पद्वति, फर्स्ट एड होज रील्स, स्वचालित अग्नि ससूचन और चेतावनी पद्वति, सार्वजनिक सबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के सकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमाक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	2	3	4
1	लो एड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2 4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3 7	1 8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7+(0 305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1 8+(0 305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाइल टावर्स की स्थापना

क–मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एव आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

ख जनरेटर केवल 'साइलेन्ट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे

ग यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।

घ जहा अपेक्षित हो, वहा टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ड सेवा ऑपरेटर कम्पनी और भवन स्वामी को सयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एव जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सबधित कपनी और भवन स्वामी का होगा।

च इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब्स, रेडियों विकिरण, वायब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप मे होने वाले दुष्परिणामों के नियत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

छ अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये सूची (1) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप मे एक लाख रूपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रूपये जिला पचायत में जमा कराने होगे यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिये होगा तथा अप्रत्यापर्णीय (Non- Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष जमा कराने होगे।

ज शैक्षणिक सस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नही की जायेगी

(इ) नक्शे स्वीकृति की दरें

क–आवासीय भवन एव शैक्षणिक भवन

सूची (1) के अनुसार जनपदों में–सभी तलो पर फर्श से ढके भाग पर रु0 50 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों मे यह दर रु0 25 प्रति वर्ग मीटर होगी।

ख व्यावसायिक एव व्यापारिक भवन

सूची (1) के अनुसार जनपदों में सभी तलो पर फर्श से ढके भाग पर रु0 100 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों मे यह दर रु0 50 प्रति वर्ग मीटर होगी।

ग (i) भूमि की प्लाटिंग भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों मे बाटना।

(ii) भूमि विकास–भूमि पर योजनाबद्ध से पार्क उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि

(iii) भूमि का उपयोग–भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कटेनर, ईधन आर0सी0सी0 पाईप आदि।

(iv) किसी परियोजना का ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र)

उपरोक्त ग (i) से (iv) तक, सूची (1) के अनुसार जनपदों मे रु0 20 प्रति वर्ग मीटर अन्य जनपदो मे यह दर रु0 10 प्रति वर्ग मीटर होगी

घ पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुन निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होगी।

ङ स्वीकृत भवन के नक्शे में सशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरे नये भवन की दरों की एक चौथाई होगी।

च–बेसमेट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की, अनुज्ञा शुल्क मे गणना की जायेगी।

छ यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरे मूल दरो की 10 प्रतिशत होगी। एक बार मे अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढाई जा सकती है अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरे, मूल दरों की 50 प्रतिशत होगी।

ज–उपविधियो के अनुसार, जिला पचायत के नक्शो की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा जिला पचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लघन करने पर अर्थदण्ड के रूप मे समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग मे जमा होने के उपरान्त पूर्व मे निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियत्रित होगी।

झ सूची (1) के अनुसार जनपदों में पूर्णत प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें रु0 20 प्रति वर्ग मीटर एव अन्य जनपदो मे रु0 10 प्रति वर्ग मीटर होगी। ये दरे सभी तलो के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होगी।

ण–सूची (1) के अनुसार जनपदो मे बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दर रु0 10 प्रति मीटर व्यय व अन्य जनपदो म रु0 5 रूपये प्रति मीटर होगी।

नोट–(शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी।)

(ण) अनुज्ञा पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1–स्वामी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एव स्वामित्व के भू अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पचायत के कार्यालय मे जमा किये जायेंगे एव आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनाकित पावती दी जायेगी।

2–ऐसे आवेदन पत्र एव उसके साथ सलग्नको को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठाकित कर देगा।

3 कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सबधित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पचायत, प्रतापगढ़ को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वय की जायेगी।

4 कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पचायत को पृष्ठाकित कर देगा।

5 अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निर्देशित (Designated) अवर अभियन्ता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6 अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह मे अभियन्ता, जिला पचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7 अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमजिली भवन, व्यवसायिक भवन, सकटमय भवन एव शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता जिला पचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8 अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी जिला पचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पचायत में जमा करनी होगी इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय मे अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबध यह है, कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक माग पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित ,करनेजद्ध हो जायेगी अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9 जिला पचायत के अभियन्ता द्वारा परियोजना की सभाव्यता (Possibility) सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जाच व जिला पचायत भवन उपविधि मे तकनीकी प्रावधानो एव नक्शों का परीक्षण किया जायेगा आवश्यकता समझने पर नक्शो मे सशोधन हेतु आवेदनकर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10 अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन मे प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ सलग्न करना होगा।

11 अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एव अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का माग-पत्र जारी करेंगे। जिसमे आवेदक को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।

12 आवदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय मे जमा कराना होगा जिलानिधि की रोकड बही मे शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13–उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा पत्र अपर मुख्य अधिकारी एव अभियन्ता के सयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तो के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एव अभियन्ता द्वारा सयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14–यदि जिला पचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की माग-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनाक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पचायत, प्रतापगढ के सज्ञान मे लिखित रूप से लाया जायेगा यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन मे कोई कार्यवाही नही करता है, तो पूर्व मे प्रस्तुत नक्शा एव निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद–उक्त कार्यवाही मे किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणो से निरस्त होने की दशा मे या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनाक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पचायत प्रतापगढ़ को सन्दर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एव उनका ये आदेश उभयपक्षो पर बन्धनकारी होगा

(त) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1–भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एव पुरातत्व विभाग द्वारा सरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे मे निर्माण की अनुमति नही दी जायेगी। 200 मीटर से 1 5 किमी0 के दायरे में निर्माण की मजिलों एव ऊँचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी

2 भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नही होगा।

3–भवन के भू तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल एफ0ए0आर0 में शामिल नही होगा

4 निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तम प्राधिकारी (Airport Authority) द्वारा नियत्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियत्रित हो, के 5 किमी0 की परिधि मे 30 मीटर से ऊँचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा

5 उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुये किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6–उपरोक्त सूची मे उल्लिखित भवनों के अतिरिक्त भवनों एव गतिविधियो के नियमो व विनियमों का निर्धारण, जिला पचायत द्वारा, इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एव गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियो के अनुसार किया जायेगा

7 मल्टी लेवल पार्किंग में सरचनात्मक एव सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेट अनुमन्य होंगे।

8–इन उपविधियो के अधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनाक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एव मान्य होगी।

9–इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लघनकर्ता के विरूद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी

(थ) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह सज्ञान मे आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है, तो जिला पचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

क–अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि वह, अभियन्ता जिला पचायत की सस्तुति पर वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में सशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे।

ख पजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एव हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होगे परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अन्तर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा।

ग कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या सस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनमें लाइसेस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा एव इन उपविधियो के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राइट ऑफ वे (RoW) नियम, 2017 तथा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलमेन्ट अथॉरिटी लैण्ड डेवलपमेन्ट रेगुलेशन्स, 2021 मे दिये गये प्राविधानों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, प्रतापगढ़ यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लघंन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा जो अंकन रु0 1000 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे मे यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

विजय विश्वास पन्त,
मण्डलायुक्त,
प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–25 हिन्दी गजट–भाग 3–2022 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 17 सितम्बर, 2022 ई० (भाद्रपद 26, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपलिका परिषद जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर

01 सितम्बर, 2022 ई०

विज्ञप्ति

सं0 375 न0पा0परि0ज0/उपविधि संशोधन राजकीय प्रकाशन/2022-23—उ0प्र0 नगर पलिका अधिनियम 1916 की धारा-293 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत सार्वजनिक मार्गो पर बस, टैक्सी, टैम्पो आदि को नियंत्रित करने हेतु उपविधि बनाई गयी है। उपविधि की धारा-10 की उपधारा-(4) में नगरपालिका बोर्ड ने प्रस्ताव संख्या-2 दिनांक 07 जुलाई, 2022 द्वारा संशोधन करते हुए नीलामी के तत्काल पश्चात् अधिकतम बोली की 2/3 धनराशि के स्थान पर 1/3 धनराशि जमा करने का निर्णय सर्व सम्मत से लिया गया है। उ0प्र0 नगरपलिका अधिनियम 1916 की धारा 300 (1) के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव हेतु दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला एवं हिन्दी दैनिक जनमोर्चा के अंक दिनांक 28 जुलाई, 2022 में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई। जिसमें प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया था। निर्धारित समय के भीतर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव नही प्राप्त हुआ ।

अतः नगरपलिका अधिनियम 1916 की धारा 300(1) के अन्तर्गत उपविधि में संशोधन को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु सेवा में भेजा जा रहा है। उपविधि में संशोधन राजकीय-पत्र (गजट) में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी माना जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद् जलालपुर,
अम्बेडकर नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, व निर्वाचन कार्ड में निर्मला पत्नी राजबहादुर प्रजापति है। परन्तु मेरे विद्यालय के अभिलेखों में भूल वश मेरी माता का नाम निर्मला देवी लिख उठा है जबकि मेरी माता का नाम निर्मला है। मेरी हाईस्कूल की मार्कशीट में निर्मला लिखा है जो सही है परन्तु इण्टरमीडिएट की मार्कशीट में निर्मला देवी लिखा है जो गलत है मेरी माता का नाम निर्मला है वही सही है।

प्रवीन प्रजापति
पुत्र राज बहादुर प्रजापति
निवासी मकान नं0 322,
राई बीगो परगना-अल्देमऊ,
तहसील-कादीपुर, जिला सुलतानपुर।

सूचना

सूचित हो कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा जारी शेयर सर्टिफिकेट नम्बर-000053697 में मेरा घरेलू नाम सुमन पुत्री गोरखनाथ लिखा है, जबकि अन्य सभी अभिलेखों में सुमन श्रीवास्तव है। भविष्य में मुझे सुमन श्रीवास्तव पत्नी श्री सतीश कुमार के नाम से जाना, पहचाना जाय।

सुमन श्रीवास्तव
पत्नी सतीश कुमार
पता-2/884, विनय खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

सूचना

फर्म मेसर्स- रोहित इण्टरप्राइजेज, 133/पी-1/105, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर नगर में श्री श्रीकान्त दीक्षित पुत्र स्व0 विशेश्वर प्रसाद दीक्षित नि0 128/3/78, यशोदा नगर, कानपुर नगर दिनांक 31 मार्च, 2004 को रिटयर्ड हो गये है तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2004 को श्री रोहित मिश्रा पुत्र श्री राज कुमार मिश्रा निवासी 127/436 एस ब्लाक, विनोवा नगर, कानपुर नगर सम्मिलित हो गये है तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से फर्म में श्रीमती सुधा मिश्रा पत्नी श्री राजकुमार मिश्रा नि0 127/436 एस ब्लाक, विनोवा नगर, जूही, कानपुर एवं श्री भगवान दीन पाण्डेय पुत्र स्व0 राम नारायन पाण्डेय नि0 ग्राम भिवली, पोस्ट सरसौल, कानपुर नगर एवं श्री रोहित मिश्रा पुत्र श्री राजकुमार मिश्रा निवासी 127/436 एस ब्लाक, विनोवा नगर, कानपुर पार्टनर है।

सुधा मिश्रा,
पार्टनरी
मेसर्स-रोहित इण्टरप्राइजेज,
133/पी-1/105, ट्रासपोर्ट
नगर, कानपुर नगर।

सूचना

सूचित किया जाता है फर्म-मेसर्स जय बाबा महाकाल इन्टरप्राइजेज, ग्राम कुईया उगनपुर पोस्ट पचोमी तहसील फरीदपुर जिला बरेली, उ0 प्र0 पिनकोड-243503 (पंजीकरण संख्या : PIL/0004535) फर्म में कुल 4 साझेदार-राजेश्वर, विमला देवी, रहीस खाँ व मोहम्मद हाशिम थे। साझेदारों की रजामंदी से दिनांक 20 अगस्त, 2022 को फर्म में नया साझेदार सुप्रिया शर्मा को शामिल किया है। एक साझेदार विमला देवी अपनी स्वेच्छा से दिनांक 20 अगस्त, 2022 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये। अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब किताब चुकता हो गया है, साझेदार का फर्म/साझेदारों पर या फर्म का साझेदार पर कोई लेन-देन बकाया नहीं है। अब फर्म में कुल 4 साझेदार राजेश्वर, रहीस खाँ, मोहम्मद हाशिम व सुप्रिया शर्मा है। फर्म में एवं साझेदारों में कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

राजेश्वर
साझेदार
मेसर्स जय बाबा महाकाल इन्टरप्राइजेज
बरेली, उ0प्र0।

सूचना

फर्म मे0 श्री राधाकृष्णा विल्डर्स 94 आनन्द वन कॉलोनी पो0 औरंगाबाद एन0 एच0 2 मथुरा पत्रावली संख्या एजी-9716 में दिनांक 05 अगस्त, 2022 को श्री राम कुमार पुत्र श्री उदयवीर सिंह निवासी -ग्राम सलेमपुर पो0 सलेमपुर तहसील सादाबाद जिला हाथरस को फर्म की भागीदारी में सम्मलित कर लिया गया वर्तमान में फर्म भागीदार श्री रविन्द्रपाल सिंह, श्री संजय प्रताप सिंह, श्री राम कुमार है।

रविन्द्रपाल सिंह,
साझीदार,
मे0 श्री राधाकृष्णा बिल्डर्स,
94 आनन्द वन कालोनी,
पो0 औरंगाबाद एन0एच02
मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 श्री सचिदानन्द शीतगृह, 6 न्यू गोविन्द नगर, साकेत शाहगंज जिला आगरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में हम श्री ऐदल सिंह त्यागी पुत्र स्व0 शेर सिंह त्यागी, श्री सुरेन्द्र सिंह त्यागी पुत्र श्री गिरेन्द्र सिंह त्यागी, श्री विनोद कुमार त्यागी पुत्र स्व0 रामगोपाल त्यागी निवासीगण ग्राम लच्छीपुरा पो0 लादूखेड़ा जिला आगरा, श्री देवेश माहेश्वरी पुत्र श्री लक्ष्मी नारायन माहेश्वरी निवासी 6 न्यू गोविन्द नगर, साकेत शाहगंज जिला आगरा हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 15 सितम्बर, 2017 को संचालन की थी। जिसमें आज दिनांक 30 अगस्त, 2022 से फर्म से श्री देवेश माहेश्वरी पृथक हो गये है। अब फर्म को श्री ऐदल सिंह त्यागी, श्री सुरेन्द्र सिंह त्यागी, श्री विनोद कुमार त्यागी हम साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

ऐदल सिंह त्यागी,
साझेदार।

सूचना

मेरे भारतीय जीवन बीमा निगम के पालिसी संख्या 310892551 में त्रुटिवश मेरा नाम पप्पू सैनी दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड, बैंक खाते व अन्य दस्तावेजों में मेरा वास्तविक नाम बिरेन्द्र कुमार दर्ज है पप्पू सैनी व बिरेन्द्र कुमार दोनों नाम मेरे एक ही व्यक्ति के हैं अतः मुझे बिरेन्द्र कुमार के नाम से जाना पहचाना व दर्ज किया जाय। बिरेन्द्र कुमार पुत्र ननकू राम सोरांव पाती, मेजा रोड, प्रयागराज।

बिरेन्द्र कुमार
पुत्र ननकू राम,
पता-सोरांव पाती मेजा रोड,
प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–25 हिन्दी गजट–भाग 8–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।